निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 972) पटना, शुक्रवार, 13 अक्तूबर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 233, दिनांक 13 अक्तूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "बीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है) के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) के रूप में प्राधिक्रत हैं बीजीएसटी अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रुप में कार्य करेंगे।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–3741)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

13 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 234, एस०ओ० 233, दिनांक 13 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–3741)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 13th October 2017

S.O. 233, dated the 13th October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "BGST Act"), on the recommendations of the Council, the Governor of Bihar, hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act") who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the BGST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3741)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 972-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in